कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन,
6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2020/मेमो

लखनऊ:दिनांक 27 अप्रैल,2020

यू0पी0 नीट पी0जी0–2020 की प्रथम चक्र की ऑन लाईन च्वाईस फिलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

- **निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित कालेज के बारे में स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।**

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि अल्संख्यक/गैर अल्पसंख्यक कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) जो महानिदेशालय की वेबसाईट www.updgme.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही (Choice Lock) करें।

- यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 के अन्तर्गत प्रथम चक्र की कांउसिलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण/सिक्योरिटी धनराशि निर्धारित तिथियों तक जमा की गयी है, तथा बैंक द्वारा एन0आई0सी0 के सर्वर पर अपडेट हो गयी है, ऐसे अभ्यर्थी ही दिनांक 27.04.2020 से दिनांक 30.04.2020 तक च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह है।

- **ऑन–लाईन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**

- अभ्यर्थी द्वारा उन्ही मेडिकल/डेण्टल कालेजों की वरीयता के आधार पर च्वाईस फिलिंग की जाये, जिस कालेज अथवा विशिष्टता में अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु इच्छुक है। ऑन–लाईन च्वाईस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नही है।

- **राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में संचालित एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0 में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित मेडिकल/डेण्टल कालेजों के बारें में अपने स्तर से स्वयं सभी जानकारी अर्थात् मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों के शुल्क संबंधी विवरण प्राप्त/संज्ञान में लेने के उपरान्त ही च्वाईस लाक (Choice Lock) करें।**

महानिदेशक